

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2019-चैत्र 29, शके 1941

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, Mohit Arora S/o Mr. Kuldeep Arora, Age 32 years (28-09-1986) 168-Ramkala Nagar, Near Morar, V.I.P. guest house Morar, Gwalior have changed my name to Surjeet Arora as per my Birth Certificate Forever vide affidavit Dated 01-04-2019 Sworn before Notary Shri Govind Bhardwaj Gwalior.

Old Name :

( **MOHIT ARORA** )

S/o Mr. Kuldeep Arora.

New Name :

( **SURJEET ARORA** )

S/o Mr. Kuldeep Arora.

(54-B.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कानतोडे RAJESH KANTODE आत्मज गोपीचंद गणपत कानतोडे GOPICHAND GANPAT KANTODE, निवासी-एच-456, इस्सारजी सम्पदा खजूरी कलां, भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कानतोडे राजेश गोपीचंद एवं राजेश गोपीचंद कानतोडे आत्मज गोपीचंद कानतोडे दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम कानतोडे राजेश गोपीचंद एवं राजेश गोपीचंद कानतोडे पुत्र श्री गोपीचंद कानतोडे दर्ज है. उसके स्थान पर राजेश कानतोडे RAJESH KANTODE पुत्र श्री गोपीचंद गणपत कानतोडे GOPICHAND GANPAT KANTODE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

( कानतोडे राजेश गोपीचंद एवं राजेश गोपीचंद कानतोडे )

नया नाम :

( राजेश कानतोडे )

( **RAJESH KANTODE** )

(55-बी.)

#### CHANGE OF SURNAME

I, Mithilesh Ghorse D/o Mr. Deorao Ghorse R/o Sausar, Chhindwara, Madhya Pradesh has changed

my spelling in my name and surname from MITHEEESH or MILHEEESH & GHORASE to MITHILESH GHORSE. Hence, I shall we known with my correct spelling as MITHILESH GHORSE and use the same new spelling for all purposes.

Old Name :  
( MITHEEESH OR MILHEEESH & GHORASE )

New Name :  
( MITHILESH GHORSE )  
Sausar, Chhindwara, Madhya Pradesh.

(56-B.)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती दीप्ति साहू पति श्री मनोज कुमार साहू, आयु 41 वर्ष, सा. 46 राजुल सिटी, गंगानगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) सूचित करती हूँ कि मेरे समस्त शिक्षा प्रमाण-पत्रों, आधार, पेन, वोटर कार्ड में एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम दीप्ति साहू दर्ज है। लेकिन मेरी पुत्री तान्या साहू के स्कूल प्रमाण-पत्रों में घरेलू नाम रूपाली साहू की जगह दीप्ति साहू दर्ज हो. उक्त दोनों नाम मेरे हैं. अतः आज से मुझे श्रीमती दीप्ति साहू के नाम से पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( रूपाली साहू )

नया नाम :  
( दीप्ति साहू )  
पति-श्री मनोज कुमार साहू

(58-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, नवनीत राठौर, आयु करीब 27 साल पिता श्री खुमान राठौर, निवासी एनएच 26, नरसिंहपुर रोड, पुरानी मकरोनिया, सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि मैं उक्त वर्णित स्थान का निवासी हूँ. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड बैंक खाता में मेरा नाम नवनीत राठौर लिखा हुआ है तथा मेरी दुकान भी नवनीत पनीर दुकान के नाम से ही है. मेरी अंकसूची में मेरा नाम मुरारीलाल राठौर लिखा हुआ है तथा मेरी सहारा की बीमा पॉलिसी में भी मेरे मुरारीलाल राठौर के नाम से है. उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं जो मान्य किए जावें. आगे समस्त दस्तावेजों, कार्यवाहियों में मेरा नाम मुरारीलाल राठौर के स्थान पर नवनीत राठौर लिखा पढ़ा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम :  
( मुरारीलाल राठौर )

नया नाम :  
( नवनीत राठौर )  
पिता-श्री खुमान राठौर.

(59-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लक्ष्मी वालेकर पति श्री किशोर वालेकर, निवासी मकान नं. 09, वार्ड नं. 18, वैष्णो धाम, आदित्यपुरम, ग्वालियर मध्यप्रदेश हूँ. चूँकि शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी लक्ष्मी आफले पुत्री श्री सदाशिव आफले था जो कि मेरे शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 26-11-1996 को श्री किशोर वालेकर से हुआ था, जिसके उपरांत मुझे लक्ष्मी वालेकर के नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मी वालेकर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :  
( कुमारी लक्ष्मी आफले )  
पुत्री-श्री सदाशिव आफले.

नया नाम :  
( लक्ष्मी वालेकर )  
पति-श्री किशोर वालेकर.

(60-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा पिता श्री जीवनलाल मिश्रा तिथि 28-09-1979 व्यवसाय नौकरी, निवासी ग्राम मनकारी, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश निम्न कथन शपथपत्र दे रहा हूँ (1) यह कि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे अंकसूची व अन्य दस्तावेजों पर मेरा सरनेम रामेश्वर प्रसाद मिश्रा अंकित है. (2) यह कि मैं वन विभाग में वनरक्षक के पद बड़ामलहरा में पदस्थ हूँ तथा मेरी सेवा अभिलेख

में मेरा सरनेम मिश्रा की जगह पर शर्मा अंकित हो गया है। जबकि मेरा सरनेम मिश्रा है। उक्त त्रुटि भूलवश हो गई है। (3) यह कि उक्त त्रुटि को सुधारकर अपनी सेवा अभिलेख में शर्मा की जगह मिश्रा अंकित करवाना चाहता, यह शपथपत्र मैंने अपनी सेवा अभिलेख में सरनेम बदलवाने बावत् लेख करवाया है जो सही सत्य है।

पुराना नाम :

( रामेश्वर प्रसाद शर्मा )

(62-बी.)

नया नाम :

( रामेश्वर प्रसाद मिश्रा )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी विद्यालयीन अंकसूचियों में मेरा नाम लोकेश कुमार पाराशर दर्ज है जबकि महाविद्यालयीन रिकार्ड तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लोकेश पाराशर दर्ज है। जो कि सही है एवं भविष्य में भी मुझे लोकेश कुमार पाराशर के स्थान पर लोकेश पाराशर ही पढ़ा जावे व इसी नाम लोकेश पाराशर के नाम से जाना जावे, पहचाना जावे एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम :

( लोकेश कुमार पाराशर )

(61-बी.)

नया नाम :

( लोकेश पाराशर )

पिता-श्री ओमप्रकाश पाराशर,  
निवासी-पुराना बस स्टैण्ड,  
सिंगोली, जि. नीमच (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति जड़िया पत्नी मोहम्मद एजाज, आयु 42 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक-202, ओरियन-2, पार्क, सरिन सनखेडी, वार्ड क्रमांक-83, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा अपने विवाह के पश्चात् भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था। इस कारण मैं एवं मेरा पुत्र अर्श, आयु 13 वर्ष द्वारा हिन्दू धर्म का ही पालन किया जा रहा है। जिस हेतु मेरे पति मोहम्मद एजाज द्वारा अपनी सहमति दी गई है, और इसी कारण मैंने अपने पुत्र अर्श एजाज पुत्र मोहम्मद एजाज के कुलनाम को पुनःपरिवर्तित करके जड़िया रख लिया, परिवर्तन के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम अर्श जड़िया आत्मज मोहम्मद एजाज हो गया है और अब वह अर्श जड़िया के नाम से जाना व पहचाना जाता है जो कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम हैं, और भविष्य में भी रहेगा।

कीर्ति जड़िया.

(63-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति जड़िया पत्नी मोहम्मद एजाज, आयु 42 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक-202, ओरियन-2, पार्क, सरिन सनखेडी, वार्ड क्रमांक-83, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा अपने विवाह के पश्चात् भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था। इस कारण मैं एवं मेरा पुत्र अहन, आयु 07 वर्ष द्वारा हिन्दू धर्म का ही पालन किया जा रहा है। जिस हेतु मेरे पति मोहम्मद एजाज द्वारा अपनी सहमति दी गई है, और इसी कारण मैंने अपने पुत्र अहन एजाज पुत्र मोहम्मद एजाज के कुलनाम को पुनः परिवर्तित करके जड़िया रख लिया, परिवर्तन के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम अहन जड़िया आत्मज मोहम्मद एजाज हो गया है और अब वह अहन जड़िया के नाम से जाना व पहचाना जाता है जो कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम हैं, और भविष्य में भी रहेगा।

कीर्ति जड़िया.

(63-A-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, राम औतार पाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम राम औतार था जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम राम औतार अंकित हो गया है। जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम राम औतार पाल अंकित है एवं वर्तमान में मुझे राम औतार पाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राम औतार पाल के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम राम औतार पाल अंकित किया जाए। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

( राम औतार )

(69-बी.)

नया नाम :

( राम औतार पाल )

निवासी-हुरावली गाँव, मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शिव नारायण श्रीवास्तव (SHIV NARAYAN SHRIVASTAVA) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा नाम शिव नारायण श्रीवास्तव (SHIV NARAYAN SHRIVASTAVA) है जो मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में अंकित है जबकि मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम शिव नारायण श्रीवास्तव (SHIO NARAYAN SHRIVASTAVA) अंकित हो गया है एवं में वर्तमान शिव नारायण श्रीवास्तव (SHIV NARAYAN SHRIVASTAVA) पुत्र श्री डी. पी. श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम शिव नारायण श्रीवास्तव (SHIV NARAYAN SHRIVASTAVA) अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( शिव नारायण श्रीवास्तव )  
(SHIO NARAYAN SHRIVASTAVA)

(70-बी.)

नया नाम :

( शिव नारायण श्रीवास्तव )  
(SHIV NARAYAN SHRIVASTAVA)

निवासी-राजगढ़, गट रिटोरिया गली,  
दतिया, (म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम अशोक कुमार था. जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम अशोक कुमार अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे अशोक कुमार कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम अशोक कुमार कुशवाह के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम अशोक कुमार कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( अशोक कुमार )

(71-बी.)

नया नाम :

( अशोक कुमार कुशवाह )

निवासी-विष्णु कॉलोनी पटिया बाला मोहल्ला,  
अजयपुर, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

मैं, मेवा राम बघेल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम मेवा राम था. जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मेवा राम अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम मेवा राम बघेल अंकित है एवं वर्तमान में मुझे मेवा राम बघेल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम मेवा राम बघेल के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम मेवा राम बघेल अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( मेवा राम )

(72-बी.)

नया नाम :

( मेवा राम बघेल )

निवासी-गली नं. 4, बघेल हॉस्टल के पास,  
नाका चंद्रवदनी गिर्द, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विमल टुबे उर्फ श्रीमती विमला बाई काले, निवासी-14 बटालियन, कम्पू, लशकर, ग्वालियर की होकर दोनों ही नाम मेरे पक्षकारा के हैं. मेरी पक्षकारा वर्तमान में श्रीमती विमल टुबे पत्नि स्व. श्री शिवाजी टुबे के नाम से जानी जाती है. मेरी पक्षकारा भविष्य में भी इसी नाम से जानी जावे तथा समस्त दस्तावेजों में श्रीमती विमल टुबे के नाम से अंकित कराये. श्रीमती विमला बाई काले की जगह श्रीमती विमल टुबे पत्नि स्व. श्री शिवाजी टुबे के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

के. आर. सोनी,

(एडवोकेट).

(76-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शिव सिंह बजेठा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बोलता नाम शिव सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम शिव सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम शिव सिंह बजेठा अंकित है एवं वर्तमान में मुझे शिव सिंह बजेठा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम शिव सिंह बजेठा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम शिव सिंह बजेठा अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :  
( शिव सिंह )

नया नाम :  
( शिव सिंह बजेठा )  
निवासी-एफ एल 356, दीनदयाल नगर,  
लखानी शूस के पास, ग्वालियर.

(74-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ट्यूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इंदौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 10-04-2017 को श्री गुलविन सिंह बग्गा पिता श्री गुरमीत सिंह बग्गा, निवासी आर-202, खातीवाला टैंक, इंदौर ने नए साझेदार के रूप में फर्म में शामिल हुये है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

द्वारा-मेसर्स ट्यूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स,  
गुरमीत सिंह बग्गा,  
( भागीदार ).

(64-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मयूर भण्डारण गृह पता-ग्राम बोरगांवखुर्द पंधाना रोड, खण्डवा की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:-

- (1) श्रीमान नवजोत सिंह उबेजा एवम् श्रीमती कुलवीर कौर उबेजा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से फर्म में नए भागीदार के रूप में जोड़े गए हैं एवम् श्रीमान मधुसुधन तिवारी दिनांक 01 अप्रैल 2018 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए हैं.
- (2) श्रीमान नरेन्द्र कुमार चांडक, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए हैं.

वास्ते-मयूर भण्डारण गृह,  
नवजोत सिंह उबेजा,  
( भागीदार )  
खण्डवा.

(65-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स चंबल एसोसिएट्स, आयकर भवन के सामने, सिंटी सेंटर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00164/14, दिनांक 22-01-2014 है जिसमें दिनांक 30-03-2019 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्र. 2 श्री अनुराग दिक्षित पुत्र श्री गिरिश कुमार दिक्षित, निवासी-डी-20, दुर्गापुरी तानसेन रोड, ग्वालियर तथा पक्षकार क्र. 3 श्री अशोक सिंह यादव पुत्र श्री डोंगर सिंह यादव, निवासी चार शहर का नाका, ग्वालियर जो कि अपनी स्वेच्छा से इस फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स चंबल एसोसिएट्स,  
अरविंद सिंह सिकरवार,  
( भागीदार ).

(66-बी.)

**NOTICE****U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT,1932**

Notice is hereby given that the firm " YEA KAY ESS ENTERPRISES " of BHOPAL Vide Reg. No. 01/01/01/0412/2018, Date of Registration 03/02/2018 undergone the following changes :-

1. That the all parties here to have decided to dissolve the said partnership firm w.e.f. 13/09/2018.

" Yea Kay Ess Enterprises"

**SYED KATIB AHMED,**

(Partner).

Shop No. 268, BDA Complex, 7 No. Stop,  
Shivaji Nagar, BHOPAL (M.P).

(67-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स भगवान ग्रुप, 104, दुर्गा नगर, लहार रोड, भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/00225/13, दिनांक 16-01-2013 है जिसमें दिनांक 01-07-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री उमेश सिंह पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह आयु 29 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर, लहार रोड, भिण्ड व पक्षकार क्रमांक 3 श्री शम्भू सिंह पुत्र श्री दामोदर सिंह आयु 45 वर्ष, निवासी न्यू लक्ष्मी कालोनी, वाटर वर्क्स, भिण्ड जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा इनके स्थान पर नवीन साझेदार के रूप में पक्षकार क्रमांक 4 श्री अनिल शिवहरे पुत्र श्री दिनेश चंद्र शिवहरे आयु 50 वर्ष, निवासी 12/137 नई आबादी गौरी मार्ग, धर्मपुरी भिण्ड जो कि नवीन साझेदार के शामिल हुए हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स भगवान ग्रुप,

**भगवान सिंह,**

(भागीदार).

(68-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो म.नं. 93, बार्ड क्र. 6, मनोहर नगर, मुँरैना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00037/11, दिनांक 25-05-2011 है जिसमें दिनांक 26-07-2016 को श्रीमती राज कुमारी गौर पत्नी श्री राकेश कुमार गौर, निवासी मनोहर नगर, मुँरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं दिनांक 28-10-2018 को श्री कमलेश कुमार गौर पुत्र श्री चन्दन सिंह गौर, निवासी- मनोहर नगर, मुँरैना मध्यप्रदेश भी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मैसर्स गौर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

**चन्दन सिंह**

(भागीदार).

(73-बी.)

मनोहर नगर, मुँरैना (म.प्र.).

**जाहिर सूचना**

मेरे पक्षकार मैसर्स पलाश प्रोडक्ट्स साझेदारी फर्म एफ. आर. एन. 03/27/01/0295/19 तर्फे अधिकृत साझेदार श्री विकास गोयल पिता श्री धनश्यामदास गोयल, निवासी 334/4, मारवल मण्डी, अग्रवाल वेयर हाऊस के सामने नेमावर रोड, पालदा, इन्दौर द्वारा के प्रदत्त जानकारी एवं माहती अनुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी दिनांक 03/10/2013 से मैसर्स पलाश प्रोडक्ट्स के नाम से संचालित की जाकर इसी नाम से अपना व्यवसाय व्यापार करती आ रही है. वर्तमान में साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपनी साझेदारी फर्म का नाम मैसर्स पलाश प्रोडक्ट्स के स्थान पर नवीन नाम मैसर्स प्रेमघन प्रोडक्ट्स से अपना व्यवसाय व्यापार दिनांक 03-04-2018 प्रारम्भ किया गया है. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब हमारे साझेदारी फर्म का नवीन नाम मैसर्स प्रेमघन प्रोडक्ट्स से जाना जायेगा एवं हमारे द्वारा इसी नवीन नाम से अपना व्यवसाय व्यापार संचालित किया जायेगा.

**तन्मय मुंद्रा,**

(एडव्होकेट)

पता-निलाया, 1-सी, रतलाम कोठी.,

इन्दौर (म.प्र.)452001.

(75-बी.)

**विविध**  
**न्यायालयों की सूचनाएं**  
**न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर**  
**( फार्म-चार )**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक इन्दौर हेरंब धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट पता-156, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर तर्फे मेनेजिंग ट्रस्टी श्री अजय किबे पिता श्री विट्ठल किबे, पता-158, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 00703994, दिनांक 08-08-2018 प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “ इन्दौर हेरंब धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ”               |
| 2. पता           | : | 156, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर.                              |
| 3. चल संपत्ति    | : | 1,19,37,310/- रुपए.  |
| 4. अचल संपत्ति   | : | म्यू क्रमांक 218, (पुराना 58) यशवंतगंज, एम. जी. रोड, इन्दौर. |

आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(286)

**( फार्म-चार )**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक इन्दौर श्री खाण्डल विप्र समाज शैक्षणिक उत्थान ट्रस्ट पता-13, स्वपनलोक कालोनी, 11/2, साउथ तुकोगंज, इन्दौर तर्फे मेनेजिंग ट्रस्टी श्री आशिष पिता महेशचन्द्र शर्मा, पता-अजनोद रोड, सांवेर, जिला इन्दौर के द्वारा “ श्री खाण्डल विप्र समाज शैक्षणिक उत्थान ट्रस्ट के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 00701442, दिनांक 03-08-2018 प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “ श्री खाण्डल विप्र समाज शैक्षणिक उत्थान ट्रस्ट ” |
| 2. पता           | : | 13, स्वपनलोक कालोनी, 11/2 साउथ तुकोगंज, इन्दौर.   |
| 3. चल संपत्ति    | : | 51,000/- रुपए.                                    |
| 4. अचल संपत्ति   | : | निरंक.  |

आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(287)

**शाश्वत शर्मा,**  
पंजीयक.

**न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राज, जिला-इन्दौर**  
( फार्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 5(1) के अंतर्गत ]

आवेदक डॉ. ओ.पी. चौधरी पिता श्री बाबूलाल चौधरी निवासी-ग्राम बिसनावदा, तहसील व जिला इन्दौर द्वारा श्री रामकृष्ण चेरिटेबल ट्रस्ट धार्मिक एवं परमार्थिक इन्दौर, पता-ग्राम बिसनावदा, तहसील व जिला इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 130, दिनांक 03-अगस्त, 2017 प्रस्तुत किया गया है. न्यास की चल सम्पत्ति /अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण )

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “ श्री रामकृष्ण चेरिटेबल ट्रस्ट धार्मिक एवं परमार्थिक इन्दौर ” |
| 2. कार्यालय पता  | : | ग्राम बिसनावदा तहसील व जिला इन्दौर.                            |
| 3. चल संपत्ति    | : | निरंक.   |
| 4. अचल संपत्ति   | : | निरंक.   |

आज दिनांक 28 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(289)

**रवि कुमार सिंह,**  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना**

( प्रारूप क्र. 4 )

[ देखें नियम 5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा ]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष,

यतः कि श्री अरूण तिवारी, निवासी ग्राम खम्हरिया तिवरियान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण )

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | “ सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट ”                    |
|                       | : | ग्राम रामस्थान, तहसील रघुराजनगर.  |
| 2. अचल संपत्ति        | : | ग्राम रामस्थान की आ.नं. 817 रकबा 0.5 डि. एवं आ. नं. 814/1 रकबा 0.05 डि. |
| 3. चल संपत्ति         | : | 11,000/- रुपये.   |



**प्रारूप-5**

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]  
लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष,

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, पी. एस. त्रिपाठी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 22 अप्रैल, 2019 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

**पी. एस. त्रिपाठी,**  
रजिस्ट्रार.

(288)

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला-रीवा**

प्र.क्र.02/बी-121/2019-20.

रीवा, दिनांक 05 अप्रैल, 2019.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5]

श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी पिता भागबत प्रसाद तिवारी, निवासी पी.के. स्कूल के पीछे, उरहट, रीवा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा-4 के अधीन अनुसूचित में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि गठन वह करती है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

लोकन्यास का नाम और पता :- कहानी मंत्रालय, शोसल एण्ड कल्चरल ट्रस्ट,  
पी.के.स्कूल के पीछे, उरहट रीवा.

चल सम्पत्ति :- 12,00,000/- (बारह लाख).

अचल सम्पत्ति :- आ. नं. 326/5 रकबा 0.008 हे. पर निर्मित मकान.

**विकास कुमार सिंह,**  
अनुविभागीय अधिकारी.

(290)

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-खरगोन**

खरगोन, दिनांक 19/22 सितम्बर, 2018

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललनी तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1505, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था लगातार 3 वर्षों से अधिक की अकार्यशील होकर अंकेक्षण में "डी" वर्ग में वर्गीकृत है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(281)

खरगोन, दिनांक 19/22 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपराड़ तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था लगातार 3 वर्षों से अधिक की अकार्यशील होकर अंकेक्षण में "डी" वर्ग में वर्गीकृत है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(282)

राजेश क्षत्री,

उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2019-चैत्र 29 शके 1941

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2018

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
- 2. जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, इन्दौर, बड़वानी, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, डिन्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. बोनी**:- जिला मुरैना, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, अलीराजपुर, इन्दौर, बड़वानी, भोपाल, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, डिन्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. फसल स्थिति** :-राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सन्तोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. कटाई** :- जिला धार, खरगोन, होशंगाबाद व जबलपुर में खरीफ फसलों की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 6. सिंचाई** :-जिला ग्वालियर, रीवा, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, बड़वानी, खरगोन, भोपाल, बैतूल तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. पशुओं की स्थिति**:-राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. चारा** :- राज्य के सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. बीज**:- राज्य के सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 10. खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, तुअर, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . . . . . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	. . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, ज्वार, तुअर कम (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	. . . . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		तुअर, गन्ना कम.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ा मलहरा	. .				
8. लवकुशनगर	. .				
9. बक्सवाहा	. .				
10. महाराजपुर	. .				
11. चंदला	. .				
12. धुवारा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
<b>12. *जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बीना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) तुअर, चना, मसूर, बटरी कम.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		अलसी, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकर्चुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, चना, गेहूँ राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) राई-सरसों, चना, मसूर अधिक. गेहूँ, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) अलसी सुधरी. शेष फसलें समान.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) . .		
3. चंदिआ	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी समान. राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) तुअर समान.		
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दलोदा	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी चालू है.	3. . . 4.(1) तुअर, गेहूँ चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, शवा, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, चना अधिक. गेहूँ, लहसन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर अधिक. कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	. .				
5. हातोद	. .				
6. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. फसल कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		कपास, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		ज्वार कम.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>36. *जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. जीरापुर	..		(2) ..		
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. ल्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तेवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ज्वार, तुअर कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है. कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..		4. (1) धान, गन्ना अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	..				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हंडिया	..				
6. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य बोनी कार्य कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..		4. (1) धान अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..		(2) धान सुधरी, तुअर बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
<b>45. *जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बहोरीबंद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ढीमरखेड़ा	..		(2) ..		
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

